(नियम–26)

जज अदालत सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी, शिव

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
हड़ाताराम पुत्र धन्नाराम जाति मेघवाल, निवासी लीकड़ी तहसील शिव, जिला बाड़मेर		धन्नाराम पुत्र संतोकाराम जाति मेघवाल, निवासी लीकड़ी तहसील शिव, जिला बाड़मेर वगैरा (29)

किस्म मुकदमा राजस्व आवेदन (धारा 212) मुकदमा नम्बर 337/2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24.07.2025	प्रार्थी अधिवक्ता श्री बालाराम गोदारा द्वारा यह प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट के तहत पेश किया है, जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थीगण जरीये नोटिस तलब हो। स्थगन प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा निवेदन करने पर एकपक्षीय अंतरिम बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी अधिवक्ता की बहस है कि प्रार्थी एवं विप्रार्थी संख्या 1 से 9 की संयुक्त एवं पैतृक खातेदारी के खेत मौजा लीकड़ी, तहसील शिव के खसरा नम्बर 346/70, 163 रकबा क्रमशः 7.8428, 26.4259 हैक्टेयर तथा मौजा बालासर तहसील शिव के खसरा नम्बर 368/171 रकबा 11.9949 हैक्टेयर के आये हुए है। उक्त विवादित आराजी प्रार्थी के दादा संतोकाराम के फौत होने पर उनके पुत्रों पोकरराम व संतोकाराम को विरासत में प्राप्त हुई है। चूंकि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत पैतृक सम्पति में उनके पुत्र, पुत्री, पौत्र, पौत्री का जन्म से अधिकार निहित हो जाते है। उक्त विवादित आराजी में विप्रार्थी संख्या 1 के साथ प्रार्थी व विप्रार्थी संख्या 2 से 9 का भी हक हिस्सा निहित होने से प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है। विप्रार्थी संख्या 1 द्वारा लोगों के प्रभाव में आकर अपनी भूमि के खसरा नम्बर 346/70 में अपने हिस्से से अधिक भूमि का बैचान विप्रार्थी संख्या 3 को कर दिया गया है, जो विधि विरूद्ध है। उक्त विवादित आराजी में प्रार्थी अपने पैतृक हिस्सा अनुसार काबिज काश्त है। वर्तमान में विप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी के पैतृक हिस्सा एवं कब्जा काश्त में दखलंदाजी पैदा की जाकर अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर उसे बेदखल करने की धमकियां दी जा रही है, जबकि विप्रार्थीगण को ऐसा करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। यदि विप्रार्थीगण अपने मकसद में कामयाब हो गये तथा प्रार्थी को उनके हक हिस्सा व कब्जा काश्त में बलपूर्वक बेदखल किया जाता है अथवा भूमि का बैचान किया जाता है तो इससे प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी कीमत पर अदा नहीं की जा सकती। अतः समस्त परिस्थितियों में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति का सिद्धांत प्रार्थी के पक्ष में होने से प्रार्थी के पक्ष में एवं विप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थी के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखलदांजी/हस्तक्षेप नहीं क[illegible] भूमि का बे[illegible] तथा वर्तमान मौका एवं राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये [illegible] जा[illegible]के आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा सादिर फरमाई जावे। हमने प्रार्थी अधिवक्ता की अंतरिम [illegible] सुनी एवं पत्रावली [illegible] अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित आराजी [illegible] पुरूष संतोकाराम से पैतृक रूप में विप्रार्थी संख्या [illegible] के नाम दर्ज होने से हि[illegible] उत्तराधिकार अनुसार उनके पुत्र/पुत्रीयों का भी हक हिस्सा निहित है तथा अपने हक हिस्सा में काबिज काश्त होने से प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है। यदि विप्रार्थी संख्या 1 व 3 द्वारा प्रार्थी के कब्जा,	

Signature Not Verified
Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2026.01.01 16:50:11 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (SDO) शिव

(नियम–26)

[illegible]ज अदालत सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी, शिव

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
हड़ाताराम पुत्र धन्नाराम जाति मेघवाल, निवासी लीकड़ी तहसील शिव, जिला बाड़मेर		धन्नाराम पुत्र संतोकाराम जाति मेघवाल, निवासी लीकड़ी तहसील शिव, जिला बाड़मेर वगैरा (29)

किस्म मुकदमा राजस्व आवेदन (धारा 212) मुकदमा नम्बर 337 / 2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24.07.2025	प्रार्थी अधिवक्ता श्री बालाराम गोदारा द्वारा यह प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट के तहत पेश किया है, जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थीगण जरीये नोटिस तलब हो। स्थगन प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा निवेदन करने पर एकपक्षीय अंतरिम बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी अधिवक्ता की बहस है कि प्रार्थी एवं विप्रार्थी संख्या 1 से 9 की संयुक्त एवं पैतृक खातेदारी के खेत मौजा लीकड़ी, तहसील शिव के खसरा नम्बर 346 / 70, 163 रकबा क्रमशः 7.8428, 26.4259 हैक्टेयर तथा मौजा बालासर तहसील शिव के खसरा नम्बर 368 / 171 रकबा 11.9949 हैक्टेयर के आये हुए है। उक्त विवादित आराजी प्रार्थी के दादा संतोकाराम के फौत होने पर उनके पुत्रों पोकरराम व संतोकाराम को विरासत में प्राप्त हुई है। चूंकि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत पैतृक सम्पति में उनके पुत्र, पुत्री, पौत्र, पौत्री का जन्म से अधिकार निहित हो जाते है। उक्त विवादित आराजी में विप्रार्थी संख्या 1 के साथ प्रार्थी व विप्रार्थी संख्या 2 से 9 का भी हक हिस्सा निहित होने से प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है। विप्रार्थी संख्या 1 द्वारा लोगों के प्रभाव में आकर अपनी भूमि के खसरा नम्बर 346 / 70 में अपने हिस्से से अधिक भूमि का बेचान विप्रार्थी संख्या 3 को कर दिया गया है, जो विधि विरूद्ध है। उक्त विवादित आराजी में प्रार्थी अपने पैतृक हिस्सा अनुसार काबिज काश्त है। वर्तमान में विप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी के पैतृक हिस्सा एवं कब्जा काश्त में दखलंदाजी पैदा की जाकर अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर उसे बेदखल करने की धमकियां दी जा रही है, जबकि विप्रार्थीगण को ऐसा करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। यदि विप्रार्थीगण अपने मकसद में कामयाब हो गये तथा प्रार्थी को उनके हक हिस्सा व कब्जा काश्त में बलपूर्वक बेदखल किया जाता है अथवा भूमि का बेचान किया जाता है तो इससे प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी कीमत पर अदा नहीं की जा सकती। अतः समस्त परिस्थितियों में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति का सिद्वांत प्रार्थी के पक्ष में होने से प्रार्थी के पक्ष में एवं विप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थी के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखलदांजी / हस्तक्षेप नहीं [illegible] तथा वर्तमान मौका एवं राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये [illegible] के आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा सादिर फरमाई जावे। हमने प्रार्थी अधिवक्ता की अंतरिम बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित आराजी पूर्व पुरूष संतोकाराम से पैतृक रूप में विप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज होने से हिन्दु उत्तराधिकार अनुसार उनके पुत्र / पुत्रीयों का भी हक हिस्सा निहित है तथा अपने हक हिस्सा में काबिज काश्त होने से प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है। यदि विप्रार्थी संख्या 1 व 3 द्वारा प्रार्थी के कब्जा	

सहायक कलक्टर (SDO) शिव

Signature Not Verified
Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2026.01.01 16:50:11 IST
Reason: SelfAttested

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
08.12.25	पत्रावली पेश। प्रार्थी वकील उपस्थित। पत्रावली विपार्थीगण की तामिली हेतु दिनांक 16.12.25 को पेश हो। सहायक कलक्टर शिव (बाड़मेर)	
16.12.25	पत्रावली पेश हुई। [redacted] प्रार्थी/विपार्थी अधिवक्ता उपस्थित/अनुपस्थित. पत्रावली में आज कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं होने के कारण इत्तवा होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार दिनांक 18.12.25 को पेश हो।	
18.12.25	पत्रावली पेश। प्रार्थी वकील उपस्थित। चूंकि आवेदन का मूल वाद जरिये विड्रो खारिज किया जा चुका है। अतः मूल वाद के खारिज होने पर इस्तगासा आवेदन का कोई औचित्य नहीं होने से इस्तगासा आवेदन भी इसी स्टेज पर जरिये खारिज किया जाता है तथा साथ ही पूर्व में जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा/स्थगन को समाप्त किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर शिव (बाड़मेर)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2026.01.01 16:50:11 IST
Reason: SelfAttested